न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिह पूनियाँ आर.ए.एस.

अपील संख्या 2022/255 (255/2022) 225 आरटीएक्ट

1. कृष्ण कुमार पुत्र स्व0 श्री पतराम आयु 60 वर्ष जाति मेधवाल निवासी कुलचन्द्र हाल आबाद चिरितयां तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. औमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री पतराम आयु 50 वर्ष } जाति मेघवाल निवासी गुलचन्द्र
3. बुधराम पुत्र स्व0 श्री पतराम आयु 45 वर्ष } तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ

–अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण सं0 1 से 3

बनाम

1. प्रवीण कुमार पुत्र श्री केसराराम जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी

2. कलावती (पु0 स्व0 श्री पतराम) धर्मपत्नी श्री बंशीलाल जाति मेधवाल निवासी चिरितयां तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. इन्द्रा (पुत्री स्व0 श्री पतराम) धर्म पत्नी श्री लालचन्द जाति मेघवाल निवासी चिस्तयां तहसील व जिला हनुमागनढ।
4. विमला पुत्री स्व0 श्री पतराम जाति मेघवाल निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेण्ट/अप्रार्थीगण सं0 4, 5, व 7

5. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व टिब्बी, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

अपील विरूद्ध आदेश 18.07.2022 प्र0 सं0 17/2017
अनवान प्रवीण कुमार बनाम कृष्ण कुमार आदि
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1
श्री रविन्द्र कुमार भोबिया अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 5

निर्णय दिनांकः– 29.08.2022

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेसपेडेण्ट संख्या 1 ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 –ए के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें अपनी भूमि में आवामन हेतु रेस्पोडेण्ट सं0 1 की भूमि चक 8 सीडीआर के प. नं. 220/249 मु. नं. 20 किला नं. 25 के पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण 2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया जिससे व्यथित हेाकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. अपील पेश होने पर अपीलाण्ट सं0 1 से 3 एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने आज राजीनामा पेश किया।
3. उभयपक्ष को सुना गया। उभयपक्ष ने राजीनामा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन कियाकि उपखण्ड अधिकारी टिब्बी द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.07.2022 को निर्णय पारित किया था मुताबिक निर्णय वाके चक 8 सीडीआर के प. नं. 220/249 मुरब्बा नं. 20 किला नं. 25 के पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण 2 बिस्वा चालू रास्ता स्वीकृत किया तथा इसके बदले में प्रथम पक्ष को डीएलसी की दोगुनी दर से प्रतिकर देय राशि तहसीलदार राजस्व टिब्बी को जमा किये जाने के आदेश पारित किये थे इससे व्यथित होकर प्रथम पक्ष ने यह अपील पेश की है। उभयपक्ष के मध्य अब राजीनामा हो चुका है एवं मुताबिक राजीनामा प्रथम पक्ष की खातेदारी भूमि को चक 8 सीडीआर के प. नं. 220/249 के किला नं. 25 के पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण 0.019 है0 रास्ता रेस्पोडेंण्ट संख्या 1 प्रवीण कुमार को दिया गया है इसके बदले प्रवीण कुमार अपनी खातेदारी भूमि वाके चक 8 सीडीआर प0 नं0 220/249 के मुरब्बा नं. 20 किला नं0 16, 17, 18 के दक्षिणी दिशा में पूर्व से पश्चिम में रास्ते के बदले में आई भूमि प्रथम पक्ष/अपीलांट को

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

देना तय हुआ है। प्रवीण कुमार अपनी खातेदारी भूमि में से प0 नं0 220 / 249 मुरब्बा नं0 20 किला नं. 16 में 0.006 है0 किला नं. 17 में 0.007 है0 व किला नं0 18 में 0.007 है0 भूमि देना तय हुआ है तथा किला नं. 16 में किला नं. 25 के सामने रास्ते के सामने की 12 फुट पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर दिशा की भूमि प्रवीण कुमार की रहेगी इसी अनुसार भू–राजस्व में अंकन करायेंगे। उभयपक्ष ने इसी अनुसार अपील का निस्तारण करने का कथन किया।

4. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
5. उपखण्ड अधिकारी टिब्बी द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.07.2022 को निर्णय पारित किया था मुताबिक निर्णय वाके चक 8 सीडीआर के प. नं. 220 / 249 मुरब्बा नं. 20 किला नं. 25 के पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण 2 बिस्वा चालू रास्ता स्वीकृत किया तथा इसके बदले में प्रथम प्रक्ष को डीएलसी की दोगुनी दर से प्रतिकर देय राशि तहसीलदार राजस्व टिब्बी को जमा किये जाने के आदेश पारित किये थे इससे व्यथित होकर प्रथम पक्ष ने यह अपील पेश की है। अब चूंकि उभयपक्ष के मध्य अब राजीनामा हो चुका है एवं मुताबिक राजीनामा प्रथम पक्ष की खातेदारी भूमि को चक 8 सीडीआर के प. नं. 220 / 249 के किला नं. 25 के पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण 0.019 है0 रास्ता रेस्पोडेंण्ट संख्या 1 प्रवीण कुमार को दिया गया है इसके बदले प्रवीण कुमार अपनी खातेदारी भूमि वाके चक 8 सीडीआर प0 नं0 220 / 249 के मुरब्बा नं. 20 किला नं0 16, 17, 18 के दक्षिणी दिशा में पूर्व से पश्चिम में रास्ते के बदले में आई भूमि प्रथम पक्ष / अपीलांट को देना तय हुआ है।
6. अतः मुताबिक राजीनामा अपील स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का आदेश दिनांक 18.07.2022 को रास्ते की एवज में अप्रार्थी सं0 1 ता 5, 7 को डीएलसी दर की दुगुनी दर से प्रतिकर दिये जाने की हद तक आदेश निरस्त किया जाता है एवं प्रवीण कुमार की खातेदारी भूमि में से प0 नं0 220 / 249 मुरब्बा नं0 20 किला नं. 16 में 0.006 है0 किला नं. 17 में 0.007 है0 व किला नं0 18 में 0.007 है0 भूमि अपीलाण्ट के नाम दर्ज किये जाने के आदेश जाते हैं तथा किला नं. 16 में किला नं. 25 के सामने रास्ते के सामने की 12 फुट पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर दिशा की भूमि प्रवीण कुमार के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार भू–राजस्व में अंकन किया जावे। अधीनस्थ न्यायलाय का शेष अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अधीनस्थ न्यायालय का शेष अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29.8.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

29/8/22

(करतार सिह पुनियॉआरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)